(5)

18/7/22 अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की तलबी नहीं करवाई है। प्रतिवादी सं 6 व 7 की तलबी हेतु सम्मन/उद्घोषणा पेश नहीं किया है। पूर्व में कई अवसर दिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी न्याय प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना आ. 9 नि. 4 CPC अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलेक्टर (राजस्व) कटनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested